E(1) देवी बनाम सरकार

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर ग्रामीण

केस संख्या 182/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	4/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते ~~तलबी / जवाब~~ P.O. कार्य हेतु दिनांक 5/3/24 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	5/3/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. सी. आर. राजकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वानुसार P.O. कार्य हेतु दिनांक 12/3/24 को पेश हो। [हस्ताक्षर]	
	12/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० पत्रावली पूर्वानुसार बहस हेतु दिनांक 15/4/24 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	15/4/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी व पेशकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी की प्रा. पत्र व पेशकार सरकार जवाब एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल. आर. एक्ट को स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावे। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल नवीस हो बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
182 / 2023	02 / 11 / 2023	15 / 04 / 2024

1. हंसा देवी पत्नि रामस्वरूप जाति जाट निवासी ग्राम माजीपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान ।
अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

श्री रामकरण– वकील प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल0आर0 एक्ट
बाबत् नक्शा दुरूस्ती

–:निर्णय :–

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा के यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी भूमियां ग्राम माजीपुरा पटवार हल्का राजपुरवासताला तहसील जमवारामगढ में स्थित कृषि भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 195 रकबा 0.4426 है0 जिसके गत खसरा नम्बर 702, 703, 704 रहे है तथा हाल खसरा नम्बर 196 / 1 रकबा 0.7081 है0 जिसके गत खसरा नम्बर 705 दर्ज रिकार्ड है। जो राजस्व रिकार्ड में तरमीम शुदा भूमियां रही है। जो प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी आराजियात है जिस पर प्रार्थीया काबिज काश्त चले आ रही है तथा कॉमन काज ऑफ एक्शन उत्पन्न होने से प्रार्थीया के लिये उक्त प्रकरण पेश करना आवश्यक हुआ है जिससे अन्य सहखातेदारों के हक हिस्से पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड रहा है। खसरा नम्बर 195 तथा 196 / 1 प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी भूमियां दर्ज रिकार्ड है जो पूर्व से तरमीम शुदा दर्ज नक्शें में रही है जिनका हाल नक्शा पूर्व नक्शें से भिन्न गलत तरमीम कर दिया गया है जो दुरूस्तनीय है। हाल खसरा नम्बर 195 रकबा 0.4426है0 जिसके गत खसरा नम्बर 702, 703, 704 रहे है तथा हाल खसरा नम्बर 196 / 1 रकबा 0.7081 है0 जिसके गत खसरा नम्बर 705 रहे तथा गत खसरा नम्बर 702, 703, 704, 705 पूर्व से नक्शें में दर्ज तरमीम शुदा रहे है तथा हाल राजस्व नक्शें में पूर्व नक्शें से भिन्न नक्शा आकृति तरमीम कर गलत प्रकार से प्रार्थीया की सयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 095 व 196 / 1 की कर दी जो दुरूस्तनीय है। प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 195 व 196 / 1 का हाल नक्शा तरमीम को राजस्व कर्मचारियों ने गलत प्रकार से पूर्व नक्शें से भिन्न तरमीम कर दिया जिससे प्रार्थीया की शामलाती भूमि हाल खसरा नम्बर 195 व 196 / 1 के नक्शा की आकृति भिन्न तरमीम कर दिया तथा हाल नक्शें मे पूर्व नक्शें से भिन्न तरमीम कर देने से सीमा विवाद हो गया इसलिये प्रार्थीया के लिये उक्त प्रकरण नक्शा दुरूस्ती के लिये पेश किया जाना आवश्यक हुआ। प्रार्थीया की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 195 की नक्शा तरमीम गत खसरा नम्बर 702, 703, 704 के अनुरूप एवं हाल खसरा नम्बर 196 / 1 की नक्शा तरमीम गत खसरा नम्बर 705 के अनुरूप की जाकर हाल खसरा नम्बर 195, 196 / 1 के नक्शा की तरमीम पूर्व नक्शें अनुसार दुरूस्त की जावें जिसकी प्रार्थीया अधिकारी है। प्रार्थीया की उक्त भूमि गत खसरा

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

नम्बर 702, 703, 704 व 705 तरमीम शुदा खातेदारी भूमियां हैं जिनके नये खसरा नम्बर 195 व 196/1 का नये सर्वे मे नक्शा कायम किया गया है जो मौके पर कब्जे व पूर्व तरमीम भिन्न तरमीम की गई जिसे दुरूस्त किया जाकर हाल खसरा नम्बर 195 व 196/1 की पूर्व नक्शा तरमीम अनुसार हाल नक्शा तरमीम कायम किया जावें जिसकी प्रार्थीया अधिकारी है। हाल सैटलमेंट के दौरान राजस्व नक्शें मे प्रार्थीया का खसरा नम्बर 195 व 196/1 के नक्शे को गलत तरमीम कर दिया गया व दोनों खसरा नम्बर 195 व 196/1 की नक्शों को एक दूसरे की जगह गलत प्रकार से तरमीम कर दिया गया हैं जो कि पूर्व नक्शें व मौके के विपरित है जो दुरूस्त की जावें। जिसकी प्रार्थीया कानूनन अधिकारिणी है। प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी भूमि वाके ग्राम माजीपुरा पटवार हल्का राजपुरवासताला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर मे स्थित हाल खसरा नम्बर 195 जिसके गत खसरा नम्बर 702, 703, 704 अनुसार एवं हाल खसरा नम्बर 196/1 जिसके गत खसरा नम्बर 705 अनुसार हाल नक्शा खसरा नम्बर 195 व 196/1 की तरमीम दुरूस्त किया जाकर पूर्व नक्शें अनुसार हाल नक्शें में खसरा नम्बर 195 व 196/1 की तरमीम कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की जारी की गई। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक /रीडर/2023/20 दिनांक 30.01..24 द्वारा जवाब पेश किया । जो शामिल मिसल है। पैरोकार सरकार ने जवाब में निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 195 रकबा 0.4426है0 भूमि खातेदार हंसादेवी पत्नि रामस्वरूप हि0 1/7 रोशन देवी पत्नि राजेन्द्र हि0 5/14 बरजी पत्नि गंगा राम हि0 1/2 जमाबन्दी रिकार्ड अनुसार खातेदार दर्ज है। जिसके गत खसरा नम्बर 702, 703, 704 रहे है। हाल खसरा नम्बर 196/1 रकबा 0.7081है0 थी जिसके गत खसरा नम्बर 705 रिकार्ड दर्ज रहे है जिसके हाल जमाबन्दी रिकार्ड में बसन्ती देवी पत्नि हरसहाय राजेन्द्र पुत्र हरसहाय, रामस्वरूप पुत्र हरसहाय, सुमित्रा देवी पत्नि जसराज , हंसादेवी पत्नि रामस्वरूप, जसराज पुत्र हरसहाय जाति जाट ग्राम माजीपुरा राजस्व रिकार्ड दर्ज है। खसरा नम्बर 195 तथा 196/1 प्रार्थीया की समुकत खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है जो पूर्व से तरमीम शुदा दर्ज नक्शा में दर्ज है। हाल नक्शा और पूर्व नक्शें का मिलान किया गया जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 196/1 रकबा 0.7081 है0 भूमि जिसके गत खसरा नम्बर 705 रकबा 18 बिस्वा खसरा नम्बर 710 रकबा 19 बिस्वा खसरा नम्बर 711 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा रहे है। हाल नक्शा व पुराने नक्शें का मिलान करने पर अन्तर पाया गया जिसके नक्शें अनुसार हाल खसरा नम्बर 196/1 से बचे गत खसरा नम्बर 705 रकबा 18 बिस्वा भूमि के हाल खसरा नम्बर 195 की नक्शें में तरमीम कर दी गई है। वर्तमान मौके पर खातेदार पूर्व नक्शें अनुसार काबिज काश्त करते आ रहे है। रिकार्ड व नक्शें से मिलान अनुसार हाल खसरा नम्बर 195 जिसके गत खसरा नम्बर 702, 703, 704 अनुसार हाल खसरा नम्बर 196/1 जिसके गत खसरा नम्बर 705 अनुसार तरमीम शुद्व करवाना चाहता है। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी व पैरोकार की बहस सुनने व पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम माजीपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 195 व 196/1 के नक्शें को गत खसरा नम्बर 702, 703, 704 व 705 अनुसार तरमीम दुरूस्त करते हुये वर्तमान राजस्व नक्शें में कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 15.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ